

CENTRAL COALFIELDS LIMITED;  
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER  
LAND AND REVENUE DEPARTMENT  
DARBHANGA HOUSE, RANCHI

Ref. No. HOD (L&R)/Comp./Pub. Domain/23-24/493

Date: 25.7.2023

To,  
The General Manager (Systems),  
CCL, Ranchi.

Sub: Publication of notice inviting objections, if any, against Compensation Proposed against land in CCL website.

Dear Sir,

The competent authority has directed for issuance of public notice inviting objections, if any, in respect of all Compensation proposals against acquired land.


In this regard, a notice, in respect of such proposal relating to two Compensation namely:

1. Bimli Devi w/o Sukhdev Yadav & Kanti Devi w/o Bhuneswar Yadav resident of village: - Honhe, P.S - Tandwa, Dist. -Chatra (Jharkhand) against acquisition of Tenancy land of Village Honhe, under Khata No. 33, Plot no. 686, Total Area 0.84 Acres acquired under CBA Act' 1957, vide SO No. 2832 E dt. 30.8.2017 is enclosed herewith.

It is requested to kindly upload the same in the CCL website and the date of uploading the same may please be intimated to this office for further needful.

Encl: As above.

Yours faithfully

  
26/7/23  
HOD  
Land & Revenue  
CCL

Copy to: - Sri. Navnit Jha Sr.Mgr. (Min.)

## आम सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत

1. बिमली देवी पति सुखदेव यादव एवं कान्ति कांति देवी पति भुनेश्वर यादव , निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा ,जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 2832 E दिनांक.30.8.2017 के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50, (रैयती) खाता सं. 33 के अधीन प्लॉट सं° 686 , कुल दावित रकवा 0.84 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गई है।

ऊपर उल्लेखित खाता स. 33 के अधीन प्लॉट सं° 686 जिसका दावित रकवा 0.84 एकड़ है एवं उक्त भूमि का खतियानी रैयत राना गंडू पिता रामचंद्र गंडू है

- क. उक्त भूमि केवाला स. 2600 दिनांक 13.6.1996 के माध्यम से बिमली देवी पति सुखदेव यादव एवं कान्ति देवी पति भुनेश्वर यादव द्वारा कन्हैया सिंह एवं बिनेश सिंह पिता हरिहर सिंह से खरीदगी की गयी है।

- ख. उक्त भूमि केवाला स. 5095 दिनांक 28.11.1996 के माध्यम से बिमली देवी पति सुखदेव यादव एवं कान्ति देवी पति भुनेश्वर यादव द्वारा मालदेव सिंह , जनार्दन सिंह पिता स्व. नेमनारायण सिंह, सुमन सिंह पिता प्रहलाद सिंह, कुमार सरोज पिता गौतम सिंह एवं सुधान्सू कुमार पिता दिलीप सिंह से खरीदगी की गयी है।

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से 10(दस) दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में विभाग अध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त 10(दस) दिनों के अंदर इस सूचना से संबंधित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50, खाता सं. 33 के अधीन प्लॉट सं. 686 दावित रकवा 0.84 एकड़, रैयती भूमि, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है एवं बिमली देवी पति सुखदेव यादव एवं कान्ति कांति देवी पति भुनेश्वर यादव, के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर किसी को भी, कोई भी प्रकार का, किसी भी बिंदु पर, कोई आपत्ति नहीं है।

विभागअध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व),

सी.सी.एल, राँची

